संख्या-13/2017/1156/62-1-2017-43जीडब्लू/2017

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद-चित्रकूट/महोबा/बाँदा/हमीरपुर/झाँसी/ललितपुर/
वाराणसी/जौनपुर/ प्रतापगढ़/मुरादाबाद एवं मेरठ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक : 24 अगस्त, 2017

विषयः 'राज्य भूजल संरक्षण मिशन' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा दिनांक 17-08-2017 को ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' की नवीन योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है। मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के संकटग्रस्त विकास खण्डों एवम् शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवम् भूजल रिचार्ज की उपयुक्त विधियों की संरचना करते हुए भूजल संसाधनों की उपलब्धता में प्रभावकारी सीमा तक वृद्धि किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिशन की कार्ययोजनाओं हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 15 विकासखण्डों, पूर्वी क्षेत्र के कुल 07 विकासखण्डों तथा पश्चिमी क्षेत्र के कुल 03 विकासखण्डों अर्थात कुल 25 विकासखण्डों को चयनित किया गया है, जिसकी सूची संलग्न है।

मिशन के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार चयनित विकासखण्डों में वाटरशेड सिद्धान्त के आधार पर रिचार्ज हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है। मास्टर प्लान पर आधारित उन्मुखीकरण कार्यशालाएं जनपद-झाँसी एवं बाँदा में आयोजित की जा चुकी हैं। कार्यशाला में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए भूगर्भ जल विभाग द्वारा विकासखण्डों की माडल डी0पी0आर0 उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें रिचार्ज हेतु सम्बन्धित संरचनाओं का सुझाव दिया गया है। उपलब्ध करायी गयी माडल डी0पी0आर0 को भूगर्भ जल विभाग के नोडल अधिकारियों द्वारा आपकी अध्यक्षता में गठित तकनीकी समन्वय समिति (टी0सी0सी0) के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। विकास खण्डवार नोडल अधिकारी की सूची संलग्न है।

आपसे अपेक्षा है कि गठित 'जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति' (टी0सी0सी0) की बैठक आहूत कराकर माडल डी0पी0आर0 के आधार पर विभिन्न कार्यदायी विभागों के सहयोग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवम् समन्वय से प्रत्येक विकास खण्ड के हाइड्रोजियोलॉजिकल परिदृश्य के अनुरूप विकास खण्डवार विस्तृत मिशन कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें । डी0पी0आर0 के द्वारा संस्तुत कार्यों का अनुश्रवण जनपद स्तर पर ''तकनीकी समन्वय समिति'' (टी0सी0सी0) द्वारा एवं प्रदेश स्तर पर 'विशेषज्ञ समिति' द्वारा किया जायेगा।

संलग्नकः- यथोक्त्।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- (1)/62-1-2017,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, 9वां तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।